**भारत सरकार**

**रेल मंत्रालय**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं. 935**

**22.12.2017 को दिया जाने वाला उत्तर**

**सुपर फास्ट रेलगाड़ियों में सीसीटीवी कैमरे**

**लगाया जाना**

**935. डॉ॰ आर॰ लक्ष्मणनः**

**क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

(क) क्या सरकार सुपर फ़ास्ट रेलगाडि़यों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का विचार रखती है, जैसाकि राजधानी, दुरंतो और शताब्दी जैसी प्रीमियम ट्रेनों में किया जा रहा है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इन ट्रेनों में यात्रा करने वाले यात्रियों की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

**उत्तर**

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेन गोहांई)**

(क) : राजधानी, दुरांतो और शताब्दी जैसी सुपरफास्‍ट और प्रीमियम गाडि़यों सहित उपनगरीय, पैसेंजर और मेल एक्‍सप्रेस गाडि़यों के लगभग 58,000 कोचों में सीसीटीवी कैमरे लगाने पर विचार किया जा रहा है।

(ख) : रेलों पर सुरक्षा व्यवस्था करना राज्‍य का विषय होने के नाते, अपराध को रोकना, मामले दर्ज करना, उनकी जांच करना और चलती गाड़ियों तथा रेलवे परिसरों में कानून एवं व्‍यवस्‍था बनाए रखना राज्‍य सरकार की सांवधिक जिम्‍मेदारी है जिसका निवर्हन वें राजकीय रेलवे पुलिस/जिला पुलिस के माध्यम से करती हैं। बहरहाल, रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) यात्री क्षेत्र, यात्रियों और उनसे संबंधित मामलों की बेहतर सुरक्षा और संरक्षा मुहैया कराने के लिए जीआरपी के प्रयासों में सहायता करती है।

इसके अलावा, यात्रियों को सुरक्षा मुहैया कराने के लिए रेलवे द्वारा निम्‍नलिखित उपाए भी किए जा रहे हैं:

1. विभिन्‍न राज्‍यों की राजकीय रेलवे पुलिस द्वारा 2200 गाड़ि‍यों के मार्गरक्षण करने के अलावा, भेद्य और चिह्नित मार्गो/खंडों पर, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा प्रतिदिन 2500 गाड़ि‍यों (औसतन) का मार्गरक्षण किया जा रहा है।

2. यात्रियों की संरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, भारतीय रेलों के लगभग 394 स्‍टेशनों पर सीसीटीवी कैमरों के जरिए निगरानी रखी जाती है।

3. विपत्ति के समय यात्रियों को चौबीसों घंटे सुरक्षा सहायता प्रदान करने के लिए भारतीय रेलवे पर सुरक्षा हेल्‍पलाइन नंबर ‘182’ कार्य कर रहा है।

4. 202 से अधिक रेलवे स्‍टेशनों पर निगरानी तंत्र में सुधार लाने के लिए, क्‍लोज़ सर्किट टेलीविज़न कैमरा नेटवर्क के जरिए भेद्य स्‍टेशनों की निगरानी सहित एक्‍सेस कंट्रोल आदि की समेकित सुरक्षा प्रणाली को स्‍वीकृत किया गया है।

5. गाडि़यों और रेल परिसरों में अप्राधिकृत रूप से प्रवेश करने वाले यात्रियों के विरुद्ध समय-समय पर अभियान चलाए जाते हैं।

6. अपराध रोकने, मामले दर्ज करने, उनकी जांच करने तथा चलती गाडि़यों के साथ-साथ रेलवे परिसरों में कानून एवं व्‍यवस्‍था बनाए रखने के लिए सभी स्‍तरों पर राज्‍य पुलिस/जीआरपी प्राधिकारियों के साथ आरपीएफ द्वारा नजदीकी संपर्क बनाया जाता है।

\*\*\*\*\*